सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र में सदन द्वारा दिनांक-20.02.2024 को

स्थानांतरित-अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

मंगलवार, तिथि 02 फाल्गुन, 1945 (श०)
21 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-02

(1) पथ निर्माण विभाग	02
कुल योग	02

स्पीड ब्रेकर का निर्माण

9. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका) स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक-01 दिसम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''आधे से अधिक स्कूलों व अस्पतालों के पास साइनेज नहीं माँगी रिपोर्ट'' के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि...

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है, परंतु उस हिसाब से साइनेज, स्पीड ब्रेकर, वाहन सुरक्षा का उपाय नहीं हो पा रहा है,

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क सुरक्षा की समीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में 60 प्रतिशत निजी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के पास साइनेज और रोड ब्रेकर नहीं होने की वजह से दुर्धटना की संभावना बनी रहती है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी निजी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के पास साइनेज, स्पीड ब्रेकर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोटः- 'क' दिनांक-20.02.2024 को सदन से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित ।

एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाना

10. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका).... स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक-10 नवम्बर, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''एन०एच० पर दुर्धटनाएँ कम करने को सुधारे जायेगें ब्लैक स्पॉट'' के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि ....

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी एन०एच० पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधार करने का आदेश दिया गया जिससे एन०एच० पर दुर्धटनाएँ कम हो परंतु सुधार नही होने के कारण आये दिन काफी दुर्धटनाएँ हो रही हैं,

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी एन०एच० पर दुर्धटना रोकने के लिये एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का आदेश दिया गया है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में लगातार हो रही दुर्धटनाओं को कम करने के लिये चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नोटः- 'ख' दिनांक-20.02.2024 को सदन से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित ।

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक-21 फरवरी, 2024 (ई०) ।

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 02 फाल्गुन, 1945 (श०)
21 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	पथ निर्माण विभाग - - -	01
(2)	लघु जल संसाधन विभाग - - -	01
(3)	ग्रामीण विकास विभाग - - -	04
	कुल योग --	06

सड़क परियोजनाओं का प्रारंभ करने के संबंध में

12. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक "एजेंसी तय होने पर भी नौ सड़क परियोजनाओं का काम शुरू नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की नौ सड़क परियोजनाएँ ऐसी है जिनके लिये जमीन भी उपलब्ध हो गई है और एजेंसी भी तय हो चुकी है लेकिन काम अभीतक शुरू नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य की 9 मुख्य सड़क चोरमा, बैरगनिया, सिवान, मशरख सहित अन्य सड़कें भी शामिल है, सड़क निर्माण में एजेंसियों के सुस्ती के कारण इन योजनाओं के काम अभीतक शुरू नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे एजेंसियों पर कार्रवाई करते हुये उक्त नौ सड़क परियोजनाओं को कबतक कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिहार को गरीबी से मुक्त करने

13. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 26.59 प्रतिशत है जो देश में सबसे ज्यादा है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार को गरीबी से मुक्त करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नलकूप लगाना

14. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्रों में दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "नलकूपों की खराबी से 1.86 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 10400 नलकूपों में से 5900 नलकूप खराब होने से राज्य के 1.86 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभिन्न कारणों से खराब पड़े नलकूपों में 2500 ऐसे नलकूप है, जो बिजली यांत्रिक दोष के कारण खराब पड़े हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बंद पड़े नलकूपों को कबतक चालू कराकर राज्य के 1.86 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास निर्माण पूर्ण करना

15. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2024 के प्रकाशित शीर्षक "38 हजार में 36 सौ आवास ही बने 75 प्रतिशत घर अभी स्वीकृत नहीं हुये" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में पूरे राज्य में 38 हजार 279 आवास निर्माण का लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3630 आवास का ही निर्माण कार्य पूर्ण हो पाया है, जो कुल निर्धारित लक्ष्य का लगभग 10 प्रतिशत ही है, जिसमें सिवान में 38 आवास में 9, शिवहर 11 सौ में 26, औरंगाबाद 12 सौ में 46, भागलपुर 652 में 56, शेखपुरा 141 सौ में 52, खगड़िया 300 में 38 आवास का निर्माण हुआ है, जबकि इस वित्तीय वर्ष (2023-24) के समापन में सिर्फ दो माह ही शेष है, यदि हाँ, तो सरकार लक्ष्य के अनुसार आवास का निर्माण पूर्ण करने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अंशतः स्वीकारात्मक है । ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना'' एक राज्य प्रायोजित योजना है । योजना अन्तर्गत लक्ष्य का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूल बजट के आधार पर 8 हजार तथा योजना में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि प्राप्त होने पर पुनः 30 हजार 279 लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है । प्रश्नगत जिलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के विरुद्ध योजना की उपलब्धि निम्नवत् है :--

क्रम संख्या	जिला का नाम	लक्ष्य	आवास पूर्णता
1	सीवान	38	11
2	शिवहर	1100	35
3	औरंगाबाद	1200	81
4	भागलपुर	652	83
5	शेखपुरा	141	75
6	खगड़िया	300	68
	कुल	3431	353 (10.22 प्रतिशत)

उपर्युक्त वर्णित जिलों में लक्ष्य के विरुद्ध कम प्रगति का कारण द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर माह के अंत में जिलों को लक्ष्य आवंटित किया जाना है ।

लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि हेतु साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उप-विकास आयुक्तों की मासिक समीक्षा बैठक सहित अन्य माध्यमों से नियमित समीक्षा की जा रही है ।

राज्य सरकार ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना'' अन्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध आवासों को पूर्ण कराने हेतु कृतसंकल्पित है ।

भूमिहीन गरीब हेतु जमीन की खरीद

16. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 डाका)--हिन्दी समाचार-पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2023 की अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक ''भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने को सरकार देगी 1 लाख रुपये'' के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में भूमिहीन गरीबों को घर बनाने के लिये 60 हजार की जगह अब 1 लाख रुपया देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में वैसे भूमिहीन लोगों को मिलेगा जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है, लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने हेतु कबतक 1 लाख रुपये देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना.

17. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''38000 को मिलेगा सी0एम0 ग्रामीण आवास'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सूबे के 38000 लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस0सी0-एस0टी0 व अतिपिछड़ा वर्ग को इसका योजना का लाभ मिलेगा एवं अधूरे आवासों को पूरा करने के लिये लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना से दो किस्तों में सहायता राशि दी जायेगी ;

(3) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला में सी0एम0 ग्रामीण आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य 1850 रखा गया है, तो दरभंगा जिला एवं दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र में अभीतक कितने लाभुकों का चयन कर इस योजना से लाभान्वित किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंचित एस0सी0-एस0टी0 एवं अतिपिछड़ा वर्ग के योग्य लाभुकों को इस योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना'' अन्तर्गत 38279 लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) ''मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना'' अन्तर्गत दरभंगा जिला को कुल 1850 लक्ष्य प्राप्त है । प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध केवटी विधान सभा क्षेत्र में केवटी प्रखंड के लिये 130 तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र के सिंहवाडा प्रखंड के 11 पंचायतों यथा हरिहरपुर पूर्वी, हरिहरपुर पश्चिमी, टेकटार, सिमरी, भराठी, माधोपुर बसतवाडा, अरई विरदीपुर, सढ़वाड़ा, हरपुर, कलिगाँव एवं भरहुल्ली के लिये 74 लक्ष्य आवंटित किया गया है । केवटी प्रखंड में लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 110 लाभुक को योजना की स्वीकृति दी गई है । इसी प्रकार सिंहवाड़ा प्रखंड के संबंधित पंचायतों में लक्ष्य के विरुद्ध सभी लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृति दी गई है ।

(4) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है । योजनान्तर्गत लक्ष्य का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूल बजट के आधार पर 8 हजार तथा पुन: योजना में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि प्राप्त होने पर 30 हजार 279 लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है ।

राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत 1 अप्रील, 2010 के पूर्व आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अतिपिछड़ा वर्ग के परिवार जिनका आवास अपूर्ण है, उन्हें पूर्ण कराने हेतु कृतसंकल्पित है ।

पटना :
दिनांक 21 फरवरी, 2024 (ई0) ।

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 91(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550